रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358] नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 1971/आषाढ़ 7, 1893

No. 358] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 1971/ASADHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 28th June 1971

S.O. 2494/18A/IDRA/71.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967 [as amended by the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 3174/18A/IDRA/70, dated the 23rd September, 1970], namely:—

In paragraph 2 of the said Order,—

(i) item No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) item No. 5 shall be re-numbered as item No 4 thereof.

[No. F. 9(1)Lic. Pol./67.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1971

का० आ० 2494/18ए०/आई डी आर ए/71.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश संख्या का० आ० 3091/18क/आई०डी० आर० ए०/67, तारीख 2 सितम्बर, 1967 [भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3174/18ए/आई० डी० आर०ए०/70, तारीख 23 सितम्बर, 1970 द्वारा यथा संशोधित] में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में —

(i) मद सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) मद सं० 5 को आदेश की मद सं० 4 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ।

[सं० एफ० 9(1) एल० पी०/67.]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971